


क्र. नं. हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/10/22	<p>कुरुलिय अपील में निर्णय पण्डित हो जाने से कुरु इल ज.प. को आगे चलाने के लिए कोई आधिकारिक प्रतीक नहीं होता है। लिहाजा ज.प. खारिज किया जाता है। ज.प. फिलाल में शुभारंभ होकर मजकूर लेकन हो। मूल अपील कुरुलिय किया जावे।</p> <p style="text-align: center;">  जिला कलेक्टर, पाली </p>	